न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, किशनगढ़, जिला- अजमेर

पीठासीन अधिकारी :- संदीप आनन्द, आर.जे.एस.
{जिला न्यायाधीश संवर्ग}

क्लेम याचिका संख्या :- 57/2021
सीआईएस संख्या :- 57/2021

करतार पुत्र स्व. कानाराम उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम रलावता तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.। .....प्रार्थी

बनाम

1. धर्मी पुत्र रामलाल उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम जाटो का वास भगवानपुरा थाना पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर राज.(चालक कार नं. आर.जे.21 सी.ए. 8188)
2. सर्वेश्वर पुत्र सुगना उम्र 30 वर्ष निवासी जाटो का मौहल्ला रामनेर तहसील व जिला अजमेर राज.(रजिस्टर्ड स्वामी कार नं. आर.जे.21 सी.ए. 8188)
3. इफको टोकियो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा कार्यालय 16 आनासागर सर्किल रोड वैशाली नगर अजमेर राज.।(बीमाकर्ता कार नं. आर.जे.21 .सी.ए. 8188)

........विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम 1988 व संशोधित अधिनियम 1994

उपस्थिति:-

1. श्री श्रवण लाल जाट, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री भागीरथ लाल जाट, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की ओर से।
3. श्री नरेन्द्र सिंह राठौड, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी की ओर से।

निर्णय दिनांक 22-05-2026

1. प्रार्थी करतार के सड़क दुर्घटना में स्वयं के घायल होने के परिणामस्वरूप उसके द्वारा दिनांक 12-07-2021 को हस्तगत याचिका प्रस्तुत की गई। याचिका में प्रार्थी ने कार संख्या आर.जे.21 .सी.ए. 8188 को प्रश्नगत किया है।

2. प्रस्तुत याचिका में संक्षिप्त तथ्य यह बताये गये हैं कि दुर्घटना दिनांक 17.05.2020 को समय सांय करीब 6.00 पी.एम. बजे पुलिस थाना गाँधीनगर जिला अजमेर राज. से बजानिब उत्तर दिशा बफासला 11 किमी की दूरी पर मकराना मेगा हाईवे रोड बस स्टेण्ड के पास रलावता पर घटित हुई। जब प्रार्थी अपने खेत से पैदल पैदल अपने घर आ रहा था रास्ते मे बस स्टेण्ड के पास पहुँचा कि पीछे से एक स्वीप्ट कार नं. आर.जे.21 सी.ए. 8188 का चालक कार को तेजगति एवं लापरवाही पूर्वक चलाता हुआ आया व प्रार्थी के पीछे से जोरदार टक्कर मारी जिसके कारण प्रार्थी करतार के गम्भीर चोटे आई। घटना स्थल से प्रार्थी को बजरंग व कमल ने उठाकर मार्बल सिटी हास्पीटल लेकर आये फिर वहाँ से आर्य हास्पीटल अजमेर में भर्ती करवाया। उक्त दुर्घटना कार नं. आर.जे.21 सी.ए. 8188 के चालक अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा कार को तेजगति गफलत एवं लापरवाही से चलाने के कारण घटित हुई थी। उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना गॉधीनगर जिला अजमेर राज. पर प्रथम सूचना संख्या 148/2020 अन्र्तगत धारा 279 337 आई. पी. सी. में दर्ज कर बाद अनुसंधान कार चालक के विरुद्ध धारा 338 आई. पी. सी. जोडकर सक्षम न्यायालय में चालक के विरुद्ध चार्जशीट प्रस्तुत की गई। उक्त दुर्घटना में प्रार्थी के आई चोटो के कारण शरीर में हुई स्थाई अपंगता कारित हो जाने के कारण प्रार्थी क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। वक्त दुर्घटना विपक्षी सं. 1 कार नं. आर.जे.21 सी.ए. 8188 का चालक व विपक्षी सं. 2 कार नं. आर.जे.21 सी.ए. 8188 का रजिस्टर्ड स्वामी/मालिक था विपक्षी सं. 1 विपक्षी सं. 2 के लाभार्थ एवं हितार्थ मे

दुर्घटना कारित वाहन को चला रहा था तथा विपक्षी सं.1 ने वाहन को तेजगति गफलत एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर उक्त दुर्घटना कारित की है। वक्त दुर्घटना विपक्षी सं. ३ दुर्घटना कारित कार नं. आर.जे.21 सी.ए. 8188 का बीमाकर्ता था। इस प्रकार विपक्षीगण 1 व 3 संयुक्त एवं पृथक पृथक रुप से प्रार्थी को इस दुर्घटना बाबत् क्षतिपूर्ति की राशि अदायगी हेतु जिम्मेदार है। अतः प्रार्थी ने विभिन्न मदों में अप्रार्थीगण से संयुक्त एवं पृथक-पृथक रूप से प्रतिकर राशि क्रमशः रुपये 3270000/- व दुर्घटना दिनांक से ताअदायगी तक अवार्ड राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिकी की दर से ब्याज दिलाये जाने की मांग की।

3. अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर दिनांक 17-11-2023 को उनका जवाब प्रस्तुत करने का अवसर बंद किया गया।

4. अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी ने जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत याचिका में वर्णित अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार करते हुए अभिकथन किया गया कि कथित दुर्घटना दिनांक 17.05.2020 को घटित होना बताया गया है जबकि कथित दुर्घटना की रिपोर्ट दिनांक 20.05.2020 को दर्ज करवायी गयी है। रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने का कोई युक्तियुक्त कारण नहीं बताया गया है। रोजनामचा रपट दिनांक 17.05.2020 में यह स्पष्ट अंकन है कि पुलिस को इतला मिली की हरमाड़ा चौराहे पर कार नं० आर.जे. 14-यू. सी.-8326 व एक मोटर साईकिल नम्बर आर.जे.14-यू.बी.-0964 खड़ी मिली जिस पर कार चालक ने बताया कि मोटर साईकिल चालक अपनी मोटर साईकिल को लहराता हुआ आकर मेरी कार के टक्कर मार दी जो नशे शराब में है। जिस पर मोटर साईकिल चालक का ब्रेथ एनेलाइजर मशीन से नशे का मेडिकल मुआयना किया तो मोटर साईकिल चालक नशे शराब में पाया गया। जिस पर मोटर साईकिल नम्बर आर.जे.14-यू. बी.-0964 को जरिये फर्द चैकिंग मीमो जब्त की। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी करतार शराब के नशे में मोटर

साईकिल चलाकर खुद गिरा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 20.05.2020 को दर्ज करवायी गयी थी जिसके मुताबिक प्रार्थी करतार को अपने खेत से पैदल चलकर घर आ रहे थे रास्ते में रलावता बस स्टेण्ड से पहले किशनगढ़ मकराना हाईवे पर दुर्घटना घटित होना बताया है। जब कि पुलिस द्वारा तैयार किया गया रोजनामचा दिनांक 17.05.2020 में प्रार्थी करतार को शराब के नशे में मोटर साईकिल चला कर कार नं० आर.जे.14-यू.सी.-8326 के टक्कर मारना बताया है। पुलिस ने मशीन से जॉच की जिसमें प्रार्थी करतार शराब के नशे में होना पाया है। इससे स्पष्ट है कि कथित दुर्घटना प्रार्थी करतार जो कि शराब के नशे में मोटर साईकिल चलाकर अन्य कार के टक्कर मारना साबित है। प्रार्थी करतार की स्वयं की गलती की वजह से कथित दुर्घटना घटित हुई है। प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 व पुलिस अनुसंधान अधिकारी से मिलीभगत करके क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से बीमा कम्पनी में बीमित वाहन को झूठा व बेबुनियाद लिप्त किया है। बरवक्त कथित दुर्घटना चालक बीमित वाहन के पास, उक्त वाहन को चलानें के लिए वैद्य एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नही था। बरवक्त उक्त कथित दुर्घटना वाहन स्वामी के द्वारा उक्त वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त नही किया गया था, तथा उक्त वाहन को बिना पंजीयन के चालन किया जा रहा था। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

5. याचिका में पक्षकारों के आये उपरोक्त अभिवचनों व दस्तावेजों के आधार पर न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 12-01-2024 को निम्नांकित तनकीयात की संरचना की गयी:-

1. आया दिनांक 17.05.2020 को सांय करीब 06.00 बजे थाना गांधीनगर के क्षेत्र में मकराना मेगा हाईवे रोड बस स्टेण्ड के पास रलावता में प्रार्थी अपने खेत से पेदल-पेदल अपने घर जा रहा था। वह जब बस स्टेण्ड के पास पहुंचा कि पीछे से एक स्वीफ्ट कार नंबर आर जे 21 सी ए 8188 जिसे उसका चालक तेजगति

व लापरवाही पूर्वक में चलाते हुए आया व पीछे से प्रार्थी के टक्कर मार दी जिससे प्रार्थी चोटग्रस्त होकर निःशक्त हुआ?

2. आया अप्रार्थीगण द्वारा जवाब क्लेम में उठाई गई आपत्तियों के अनुसार उनके विरूद्ध क्लेम स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है ?

3. आया दुर्घटना में प्रार्थी करतार जाट चोटग्रस्त होकर निःशक्त होने से मांग पत्र की मद संख्या-24 में वर्णितानुसार विपक्षीगण से संयुक्त एवं पृथक-पृथक रूप से 32,70,000 /- रूपए प्राप्त करने की अधिकारी है ?

4. अनुतोष ?

6. प्रार्थी की ओर से अपनी मौखिक साक्ष्य में गवाह ए.डब्ल्यू 1 करतार को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया है एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 01 चार्जशीट, प्रदर्श 02 चाकशुदा एफआईआर, प्रदर्श 03 तहरीरी रिपोर्ट, प्रदर्श 04 नक्शा मौका, प्रदर्श 05 चोट प्रतिवेदन, प्रदर्श 06 एक्स रे रिपोर्ट, प्रदर्श 07 एक्स रे रिपोर्ट, प्रदर्श 08 चोटों के संबंध में मेडिकल ज्यूरिष्ट की राय, प्रदर्श 09 फर्द जप्ती दुर्घटना कारित वाहन, प्रदर्श 10 नोटिस 133 एम.वी. एक्ट, प्रदर्श 11 नोटिस 134 एम.वी. एक्ट, प्रदर्श 12 मेकेनिकल मुआयना वाहन, प्रदर्श 13 वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, प्रदर्श 14 वाहन का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, प्रदर्श 15 दुर्घटना कारित वाहन के चालक का डी.एल., प्रदर्श 16 वाहन की बीमा पॉलिसी / कवर नोट, प्रदर्श 17 दिनांक 17.05.2020 की रोजनामचा रपट की नकल, प्रदर्श 18 भर्ती टिकट, प्रदर्श 19 डिस्चार्ज टिकट, प्रदर्श 20 लगायत 236 — इलाज से संबंधित मेडिकल बिल एवं इलाज से संबंधित दस्तावेज को प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाया।

7. प्रार्थी की ओर से साक्ष्य समाप्त किए जाने के पश्चात् अप्रार्थीगण द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने उनका साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर बंद किया जाकर बहस अंतिम सुनी गई।

8. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी दिनांक 17.05.2020 को पैदल पैदल अपने घर आ रहा था तो मकराना मेगा हाईवे रोड बस स्टैंड के पास रलावता पर प्रश्नगत वाहन कार संख्या आरजे 21 सीए 8188 के चालक ने अपनी कार को तेज गति व लापरवाही से चलाकर प्रार्थी को टक्कर मारी जिस दुर्घटना से प्रार्थी के शरीर पर क्षति कारीत हुई है जिसका अंकन रोजनामचा रिपोर्ट प्रदर्श 17 में भी है। अप्रार्थी बीमा कंपनी ने इस रोजनामचे में प्रार्थी द्वारा शराब के नशे में वाहन को चलाए जाने का कथन किया है जबकि वह गलत है। इस रोजनामचे में दो पृथक-पृथक घटनाओं का जिक्र है। प्रार्थी के साथ हुई दुर्घटना बाद वाली दुर्घटना है। हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत वाहन को मौके पर गांव वालों के द्वारा बाडे में खड़ा किया गया है। पुलिस ने बाद अनुसंधान प्रश्नगत वाहन के चालक की गलती व लापरवाही से दुर्घटना कारित होना मानकर आरोपपत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने अपनी साक्ष्य में स्वयं को एडब्लू 1 के रूप में प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया है। इस तरह प्रार्थी अपनी याचिका को अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करने में सफल रहा है। अतः हस्तगत याचिका स्वीकार कर वांछित क्षतिपूर्ति राशि अप्रार्थीगण से दिलाई जाए। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए-

1- 2025 INSC 166 Jitendra vs Sadiya & Ors

2- AIR 2020 SC 4424 Pappu deo yadav vs Naresh Kumar and Ors.

9. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने उक्त तर्कों का मौखिक विरोध करते हुए निवेदन किया कि हस्तगत दुर्घटना स्वयं प्रार्थी की लापरवाही से कारित हुई है। हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत वाहन विधि अनुसार अप्रार्थी संख्या 3 बीमा कंपनी के यहाँ बीमित था। ऐसी

स्थिति में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 की हद तक हस्तगत याचिका अस्वीकार कर खारिज की जावे।

10. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 बीमा कंपनी ने अपनी जवाब याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी अपनी मोटरसाइकिल को शराब के नशे में चला रहा था जिसके कारण हस्तगत दुर्घटना कारित हुई है जिसका अंकन रोजनामचा रिपोर्ट प्रदर्श- 17 में भी है। इसके अतिरिक्त घटना की रिपोर्ट देरी से दर्ज करवाई गई है। प्रार्थीगण एक ही जाति के व्यक्ति है जिन्होंने आपस में मिलीभगत कर प्रश्नगत वाहन को गलत रूप से आलिप्त कर मुकामी पुलिस से साठगांठ कर झूठा आरोपपत्र प्रस्तुत करवाया है। वक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन के चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। प्रार्थी अपनी याचिका को अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करने में असफल रहा है। अतः हस्तगत याचिका अस्वीकार कर खारिज की जावे।

11. हमने उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। साथ ही प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस अधिकरण का तनकीवार विश्लेषण व निष्कर्ष निम्न प्रकार है:-

<u>तनकी संख्या-1</u>

12. तनकी सं. 1 यह है कि आया दिनांक 17.05.2020 को सांय करीब 06.00 बजे थाना गांधीनगर के क्षेत्र में मकराना मेगा हाईवे रोड बस स्टेण्ड के पास रलावता में प्रार्थी अपने खेत से पेदल-पेदल अपने घर जा रहा था। वह जब बस स्टेण्ड के पास पहुंचा कि पीछे से एक स्वीफ्ट कार नंबर आर जे 21 सी ए 8188 जिसे उसका चालक तेजगति व लापरवाही पूर्वक में चलाते हुए आया व पीछे से प्रार्थी के टक्कर मार दी जिससे प्रार्थी चोटग्रस्त होकर निःशक्त हुआ?

13. इस संबंध में पत्रावली पर मौजूद मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करें तो हस्तगत दुर्घटना की तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श-3 परिवादी बजरंग द्वारा पुलिस थाना गांधीनगर पर दिनांक 20.05.2020 को इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत की गई कि दिनांक 17.05.2020 को सांय करीब

6.00 बजे के लगभग मैं व चाचा का लडका करतार पुत्र श्री स्व. कानाराम जाट हम दोनो अपने खेत से पैदल चलकर घर आ रहे थे। रास्ते मे रलावता बस स्टेशन से पहले किशनगढ मकराना मेगा हाईवे पर पहुंचे कि पीछे से एक स्वीप्ट कार न RJ21 CA 8188 का चालक वाहन को तेजगति एव लापरवाही पूर्वक चलाता हुआ आया व साईड मे चल रहे मेरे चचेरे भाई के पीछे से जोरदार टक्कर मारी जिससे मेरे भाई को गम्भीर चोटे आने के कारण गिर गया। मैने व मौके पर मौजूद कमल छापरवाल ने भागकर मेरे भाई को उठाया तो मेरे भाई सिर मे खून आ रहा था। गाडी चालक गाडी को वहा पर छोडकर भाग गया। गाडी को गांव वालो ने वहां से हटाकर बाडे मे खडी की। कार हमारे गांव मे ही बाडे मे खडी है। घटना की सूचना थाना गांधीनगर को उसी समय दी व घटना स्थल से करतार को मै व कमल छापरवाल ने राह चलती गाडी को रूकवाकर मार्बल सिटी हास्पीटल लेकर आये। करतार की स्थिति ज्यादा खराब होने के कारण अजमेर रेफर कर दिया तो एम्बुलेन्स से आर्य हास्पीटल अजमेर लेकर गये। जहां करतार का ईलाज चल रहा है तथा करतार की हालत अभी भी गम्भीर है। मै मेरे भाई के ईलाज मे व्यस्त होने के कारण आज रिपोर्ट कराने आया हूं आदि...।

14. इस तहरीरी रिपोर्ट पर मुकामी पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 148/20 अंतर्गत धारा 279, 337 भारतीय दंड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया एवं बाद अनुसंधान अप्रार्थी संख्या 1 के विरुद्ध आरोप पत्र प्रदर्श 1 अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दंड संहिता व 134/187 एमवी एक्ट में प्रस्तुत किया गया। इस तरह मुकामी पुलिस ने हस्तगत प्रकरण में दुर्घटना प्रश्नगत वाहन के चालक अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने वाहन को तेज़ गति व लापरवाही से चलाकर कारित होना माना है। प्रार्थी के शरीर पर हस्तगत दुर्घटना में आई चोटों की पुष्टि उसके चोट प्रतिवेदन व एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श 5 लगायत 8 से होती है।

15. जहाँ तक अधिवक्ता बीमा कंपनी का यह तर्क कि प्रार्थी वक्त दुर्घटना शराब के नशे में होकर अपने वाहन मोटरसाइकिल को चला रहा था जिसकी रोजनामचा रिपोर्ट प्रदर्श 17 पत्रावली पर मौजूद है, इस संबंध में प्रदर्श 17 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इस रोजनामचे में जिस

व्यक्ति का शराब के नशे में होकर मोटरसाइकिल चलाना बताया गया है, उस व्यक्ति का नाम करतार चौधरी अंकित नहीं है अपितु प्रार्थी करतार चौधरी के संबंध में इस रोजनामचे की अंतिम 5 लाइनों में यह तथ्य अंकित है कि "रामनेर चौराहे पर पुलिस को जरिए ट्राफिक पुलिस सूचना मिली कि मार्बल सिटी अस्पताल में एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल होकर भर्ती हुआ है। मार्बल सिटी अस्पताल में पहुंचने पर बताया कि वह व्यक्ति करतार चौधरी है।" अर्थात इस रोजनामे से यह स्पष्ट है कि रोजनामचे में दो अलग-अलग दुर्घटनाओं का उल्लेख है। प्रार्थी करतार चौधरी इस रोजनामचा प्रदर्श 17 के अनुसार ना तो शराब के नशे में था न ही वह मोटरसाइकिल का संचालन कर रहा था।

16. इस मामले में प्रार्थी द्वारा जो मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उसमें स्वयं को पीडब्लू 1 के रूप में प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया है। इस गवाह ने अपनी साक्ष्य में प्रश्नगत वाहन के चालक द्वारा दुर्घटना कारित करना व इस दुर्घटना में उसके चोटें कारित होने का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है एवं यह गवाह जिरह में भी अपनी मुख्य परीक्षा में किए गए कथनों पर अडिग रहा है एवं स्पष्ट रूप से उसने यह कथन किया है कि वह वक्त दुर्घटना शराब पीकर मोटरसाइकिल नहीं चला रहा था अपितु वह खेत से पैदल-पैदल चलकर आ रहा था तब उसके साथ यह दुर्घटना कारित हुई है।

17. जहाँ तक अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रश्नगत वाहन को अप्रार्थी संख्या 2 के लाभार्थ व हितार्थ चलाए जाने का प्रश्न है इस मामले में प्रश्नगत वाहन कार संख्या आरजे 21 सीए 8188 के पंजीयन प्रमाणपत्र प्रदर्श 13 से इस वाहन का पंजीकृत स्वामी अप्रार्थी संख्या 2 सर्वेश्वर का होना साबित है। इस पंजीकृत स्वामी को जो नोटिस प्रदर्श 10 अंतर्गत धारा 133 एमवी एक्ट का दिया गया है, इस नोटिस के जवाब में अप्रार्थी संख्या 2 सर्वेश्वर ने वक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन को अप्रार्थी संख्या 1 धर्मी द्वारा चलाए जाने का कथन किया है एवं अभियुक्त संख्या 1 धर्मी ने उसे दिए गए नोटिस अंतर्गत धारा 134 एमवी एक्ट प्रदर्श 11 में वक्त दुर्घटना स्वयं द्वारा प्रश्नगत वाहन को चलाए जाने का कथन किया है। इस तरह यह साबित है कि वक्त दुर्घटना अप्रार्थी संख्या 1, अप्रार्थी संख्या 2 सर्वेश्वर के लाभार्थ व हितार्थ उक्त वाहन का संचालन कर रहा था। इस तरह

उपरोक्त साक्ष्य के विश्लेषण से तनकी संख्या 1 प्रार्थी के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

<u>तनकी संख्या 2</u>:

18. तनकी संख्या 02 यह है कि "आया अप्रार्थीगण द्वारा जवाब क्लेम में उठाई गई आपत्तियों के अनुसार उनके विरूद्ध क्लेम स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है ?"

19. इस संबंध में बीमा कम्पनी की प्रथम आपत्ति यह रही है कि वक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन के चालक के पास वैध एवं प्रभावी चालक अनुज्ञप्ति नहीं थी। इस संबंध में प्रश्नगत वाहन के चालक अप्रार्थी सं. 1 के ड्राइविंग लाइसेंस को प्रदर्श 15 के रूप में प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराया गया है। जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह ड्राइविंग लाइसेंस हल्के मोटर वाहनों के लिए दिनांक 14.05.2015 से 13.05.2035 तक के लिए वैध था। हस्तगत दुर्घटना दिनांक 17.05.2020 की है अर्थात् वक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन के चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस था। अतः अधिवक्ता बीमा कम्पनी की यह आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

20. जहां तक अधिवक्ता अप्रार्थी बीमा कम्पनी द्वारा उठायी गयी यह आपत्ति कि हस्तगत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि हस्तगत दुर्घटना की रोजनामचा रिपोर्ट प्रदर्श 17 पत्रावली पर मौजूद है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी की डिस्चार्ज समरी प्रदर्श 18 के अनुसार दिनांक 17.05.2020 से 10.06.2020 तक प्रार्थी अस्पताल में भर्ती रहा है। प्रार्थी के शरीर पर गंभीर चोटें भी कारित होना उसकी चोट प्रतिवेदन व एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श 5 लगायत 8 से साबित है। इस तरह निश्चित रूप से प्रार्थी व उसके परिजनों का हस्तगत दुर्घटना में प्रार्थी के आई चोटों के कारण इलाज में व्यस्त होना स्वाभाविक है। इस तरह हस्तगत प्रथम सूचना रिपोर्ट में हुए तीन दिन के विलंब का कारण न्यायसंगत है। अतः बीमा कंपनी की यह आपत्ति स्वीकार किये जानी योग्य नहीं है।

21. जहां तक प्रश्नगत वाहन का बीमा कम्पनी के यहां बीमित होने

का प्रश्न है, बीमा प्रमाण पत्र प्रदर्श 16 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत वाहन के संबंध में बीमा कम्पनी द्वारा पॉलिसी दिनांक 01.03.2020 से 28.02.2021 तक के लिए जारी की गयी थी। घटना दिनांक 17-05-2020 की है अर्थात् घटना के दिन प्रश्नगत वाहन का बीमा कम्पनी के यहां बीमित होना साबित है।

22. जहां तक अप्रार्थी बीमा कंपनी की यह आपत्ति की वक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन का वैध पंजीयन प्रमाण पत्र नहीं था, इस संबंध में प्रार्थी द्वारा दौराने साक्ष्य प्रश्नगत वाहन की आर.सी को प्रदर्श 13 के रूप में प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराया गया है। जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह आर.सी. दिनांक 02.12.2015 से 01.12.2030 तक के लिए वैध थी। हस्तगत दुर्घटना दिनांक 17.05.2020 की है अर्थात् वक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन का वैध पंजीयन प्रमाण था। अतः अधिवक्ता बीमा कम्पनी की यह आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

23. अतः उपरोक्त किए गए विवेचन के अनुसार अप्रार्थी बीमा कंपनी द्वारा उठाई गई आपत्तियां स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। परिणामतः यह तनकी अप्रार्थी संख्या 3 बीमा कंपनी के विरूद्ध निर्णीत की जाती है।

<u>तनकी संख्या: 3</u>

24. तनकी सं. 3 यह है कि आया दुर्घटना में प्रार्थी चोटग्रस्त होकर निःशक्त होने से मांग पत्र की मद संख्या-25 में वर्णितानुसार विपक्षीगण से संयुक्त एवं पृथक-पृथक रूप से 32,70,000/- रूपए प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?

25. इस संबंध में अधिकरण ने तनकी सं. 1 को प्रार्थी के पक्ष में एवं तनकी सं. 2 को अप्रार्थी बीमा कम्पनी के विरुद्ध निर्णीत किया है अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 से संयुक्ततः एवं पृथकतः प्रतिकर राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

26. चूंकि प्रार्थी द्वारा अपनी स्थायी निरयोग्यता बाबत कोई प्रमाण पत्र अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर प्रदर्शित नहीं करवाया गया है। अतः प्रार्थी की आयु व आय के संबंध में विचार किया जाना आवश्यक नहीं है।

27. प्रार्थी द्वारा अपने इलाज में किए गए खर्चो व बिलों को प्रदर्श 20 लगायत 236 के रूप में प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाया है। जिनमें से कुछ बिलों में एडवांस राशि के संबंध में अंकन है एवं उसी राशि का अंतिम बिल मे भी अंकन है ऐसी स्थिति में इन राशियों को समायोजित कर इन बिलों में अंकित कुल राशि 6,88,816/-रूपये का पुनर्भरण करवाया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

28. प्रार्थी का उक्त चोटो के कारण अस्पताल में भर्ती रहना प्रदर्श 18 व 19 डिस्चार्ज टिकट से साबित है जिसके अनुसार प्रार्थी आर्या न्यूरो स्पाइन एण्ड सुपर स्पेशलिटी होस्पीटल में दिनांक 17-05-2020 से 10-06-2020 तक कुल 24 दिन व तत्पश्चात दिनांक 14-08-2020 से दिनांक 18-08-2020 तक कुल 5 दिन तक भर्ती रहा है, इस भर्ती अवधि में प्रार्थी की सेवा सुश्रुषा के लिए एक अटेंडेंट भी उपस्थित रहा होगा और उपचार के लिए प्रार्थी ने पोष्टिक आहार भी अवश्य लिया होगा अतः इस मद में प्रार्थी को रुपये 500/- प्रतिदिन के हिसाब से 500 X 29 = 14500/- रुपये दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।

29. जहां तक क्षतिपूर्ति राशि का प्रश्न है, इस संबंध में प्रार्थी के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श 5 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के शरीर पर उक्त दुर्घटना में कुल छः चोटे कारित हुई है, जिनमें एक चोट गंभीर व पांच चोट साधारण प्रकृति की है। इस गंभीर प्रकृति की चोट से प्रार्थी के सिर व हाथ पर क्षति कारित हुई है। प्रदर्श-18 व 19 डिस्चार्ज टिकट के अनुसार प्रार्थी के भर्ती रहने के दौरान उसके दिनांक 25-05-2020 व दिनांक 14-08-2020 का ओपरेशन भी हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को उसके शरीर पर आई पांच साधारण चोट के लिए 5000/रूपये , व एक गंभीर चोट के लिए 5000/- रूपये व ओपरेशन के पेटे 20000/- रूपये दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार कुल 5000 + 5000 + 20000 = 30000/- रूपये तथा इन चोटों के कारण हुई शारीरिक व

मानसिक पीड़ा के पेटे रुपये 55,000/- इस तरह कुल 85,000/- की क्षतिपूर्ति दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

30. प्रार्थी ने मजदूरी का कार्य करना बताया है एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत डिस्चार्ज टिकट प्रदर्श 18 व 19 के अनुसार वह कुल 29 दिन भर्ती रहा है। जिसके कारण प्रार्थी को आय की क्षति हुई है क्योंकि वह इस अवधि में मजदूरी का कार्य कर आय अर्जित नहीं कर पाया एवं उसके पश्चात भी वह कई दिनों तक अपना मजदूरी का कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाया होगा। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी को आय की क्षति के पेटे 20,000/- रूपये दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

31. इस तरह प्रार्थी को 6,88,816 + 14500 + 85000 + 20000 = 808316/- रूपये बतौर क्षतिपूर्ति हेतु दिलाया जाना न्यायोचित है।

तनकी सं. 4 - अनुतोष

32. चूंकि तनकी सं. 1 व 3 प्रार्थी के पक्ष में निर्णीत किये गये हैं एवं तनकी सं. 2 अप्रार्थी बीमा कम्पनी के विरुद्ध निर्णीत की गयी है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकियों में किये विवेचन के अनुसार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत याचिका अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 के विरुद्ध कुल 808316/- रुपये अक्षरे आठ लाख आठ हजार तीन सौ सोलह रूपये क्लेम याचिका प्रस्तुति दिनांक 12.07.2021 से अदायगी होने तक 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 से संयुक्ततः एवं पृथकतः रूप से प्राप्त करने का अधिकारी है।

पंचाट

33. प्रार्थी श्री करतार पुत्र स्व. कानाराम उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम रलावता तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज. की ओर से प्रश्नगत दुर्घटना में स्वयं के क्षतिग्रस्त होने के परिणामस्वरूप प्रस्तुत यह याचिका अंतर्गत धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम अप्रार्थीगण के विरुद्ध स्वीकार

की जाकर कुल 808316/- रुपये अक्षरे आठ लाख आठ हजार तीन सौ सोलह रूपये का अवार्ड पारित किया जाता है। प्रार्थी उक्त राशि पर याचिका प्रस्तुति तिथि दिनांक 27.08.2021 से वसूली तिथि तक 6 (छः) प्रतिशत वार्षिक साधारण दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी होगा। उक्तानुसार अप्रार्थीगण तीन माह के भीतर प्रतिकर राशि मय ब्याज अदा करें।

34. अप्रार्थी से प्रतिकर राशि वसूल होने पर प्रार्थी को निम्नानुसार भुगतान किया जावे-

कम सं.	प्रार्थी का नाम	बचत खाते में जमा योग्य राशि	सावधि जमा खाते में जमा योग्य राशि	सावधि जमा की अवधि
1.	श्री करतार पुत्र स्व. कानाराम उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम रलावता तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज	308316 मय ब्याज	2,00,000/– 1,00,000/– 1,00,000/– 1,00,000/–	1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष
	योग :–	308316 मय ब्याज	5,00,000/-	

35. प्रतिकर राशि पर अर्जित संपूर्ण ब्याज राशि का भुगतान प्रार्थी को उसके बचत खाते के माध्यम से किया जावे। प्रार्थी की सावधि जमा की राशि का ब्याज प्रत्येक त्रैमास के अंत में उसके बचत खाते में उसके जीवनयापन के खर्च के लिए जमा होता रहेगा। सावधि जमा की राशि परिपक्वता से पूर्व इस न्यायाधिकरण की इजाजत के बिना आहरित/भुगतान नहीं की जा सकेगी, सावधि जमा राशि पर किसी प्रकार का अग्रिम, ऋण देय नहीं होगा। अप्रार्थी बीमा कंपनी को आदेशित किया जाता है कि प्रतिकर राशि का भुगतान न्यायाधिकरण के बैंक इण्डियन बैंक, शाखा मदनगंज किशनगढ़, प्लॉट नम्बर 40-41, खोड़ा गणेश रोड़, मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर, ब्रांच कोड-2115 में संचालित अधिकरण के खाता संख्या 50446089082 में जरिये RTGS/NEFT के माध्यम से जमा जमा करवाकर सूचना नियमानुसार न्यायाधिकरण में

भिजवाई जावे। यह भी आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी मियादी जमा राशियों का अवधि पूर्व भुगतान अथवा इस पर लोन बिना न्यायालय की अनुमति के प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तदनुसार अंतिम पंचाट नियमानुसार तैयार किया जावे।

36. प्रार्थी इस आशय का शपथ-पत्र भी पेश करे कि उसने पूर्व में इस दुर्घटना के संबंध में कोई क्लेम राशि अन्य किसी अदालत/अधिकरण/विभाग से प्राप्त नहीं की है।

(संदीप आनन्द)
न्यायाधीश
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
किशनगढ़ जिला अजमेर

37. निर्णय आज दिनांक 22-05-2026 लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संदीप आनन्द)
न्यायाधीश
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
किशनगढ़ जिला अजमेर

SUNIL SONI
Steno Gr. II "Authenticate Document" Digitally signed by SUNIL SONI
Date: 2026.05.25 08:04:19 +0530